

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1152]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 1152]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/ VAISAKHA 22, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2016

का.आ. 1721(अ)— कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करती है और इस प्रयोजनार्थ वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 12 अगस्त, 1986 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. का.आ. 486 (अ) में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्, -

2. उक्त अधिसूचना में, -

(क) क्रमांक 7,8,11,12, और 14 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा; अर्थात्, -

धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ड.) के अधीन नियुक्त

“ 7. श्री एस.जे.चीरू

निदेशक (व्यापार),

सदस्य

कृषि,सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग,

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय,

कृषि भवन, ज़ैदिल्ली

- | | | |
|-----|---|-------|
| 8. | श्री अजित बी.चवन, निदेशक (निर्यात संवर्धन कृषि),
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, ज़ैदिल्ली | सदस्य |
| 11. | श्री धीरेन्द्र कुमार,
उप सचिव (इम्पेक्स),
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
कृषि भवन, ज़ैदिल्ली | सदस्य |
| 12. | श्री पी.वी.रामा शास्त्री,
संयुक्त सचिव,
उपभोक्ता कार्य विभाग,
कृषि भवन, ज़ैदिल्ली | सदस्य |
| 14. | श्री विपनेश शर्मा,
अधीक्षण अभिर्यता (योजना),
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
परिवहन भवन, ज़ैदिल्ली | सदस्य |

(ख) क्रमांक 16, 17, 18, तथा 19 और उज्जैसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा; अर्थात्, -

जैरा 4 की उप-जैरा (4) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त

- | | | |
|-----|---|-------|
| 16. | श्री सव्यसाची घोष,
सचिव(एफपी एवं एमएसएमई),
उद्योग एवं वाणिज्य(एफपी एवं एमएसएमई) विभाग,
कमरा सं.346, डी ब्लॉक, द्वीतीय तल,
तेलंगाना सचिवालय,
तेलंगाना सरकार, हैदराबाद | सदस्य |
| 17. | श्री एम.नागाराजू,
प्रधान सचिव,
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, | सदस्य |

त्रिपुरा सरकार

18. श्री एस.पी.जोशी,

सदस्य

निदेशक,

बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश सरकार

19. श्री वीर सिंह नेगी,

सदस्य ”

निदेशक,

बागवानी विभाग,

उत्तराखण्ड सरकार

[फा. सं. 6/16/2015- ईपी (एग्री-IV)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: ह्यंत्र्य अधिसूचना भारस्त्रें के राजपत्र, असाधारस्त्रें में का. आ. 486(अ), दिनांक 12 अगस्त्रें, 1986 छैरा प्रकाशित की गई छै और अंतिम संशोधन का.आ. 445(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2016 छैरा किया गया छै।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

Notification

New Delhi, the 11th May, 2016

S.O. 1721(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), read with rule 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986, the Central Government hereby appoints the following members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority for a period of two years with effect from the date of publication of this notification and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 486(E), dated the 12th August, 1986, namely:-

2. In the said notification, -

- (a) for serial number 7, 8, 11,12 and 14 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be respectively substituted, namely:-

Appointed under clause (e) of sub-section (4) of section 4:

- | | | |
|-----|--|--------|
| “7. | Shri S. J. Chiru,
Director (Trade),
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare,
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,
Krishi Bhawan, New Delhi. | Member |
| 8. | Shri Ajit B. Chavan, Director (Export Promotion Agriculture),
Department of Commerce,
Ministry of Commerce and Industry,
Udyog Bhawan, New Delhi. | Member |

- | | | |
|-----|---|----------|
| 11 | Shri Dharendra Kumar,
Deputy Secretary (Impex),
Department of Food and Public Distribution,
Krishi Bhawan, New Delhi. | Member |
| 12. | Shri P. V. Rama Sastry,
Joint Secretary,
Department of Consumer Affairs,
Krishi Bhawan, New Delhi. | Member |
| 14. | Shri Vipnesh Sharma,
Superintending Engineer (Planning),
Ministry of Road Transport and Highways,
Parivahan Bhawan, New Delhi. | Member”. |

- (b) for serial number 16, 17, 18 and 19 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (f) of sub-section (4) of section 4:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 16. | Shri Sabyasachi Ghosh,
Secretary (FP and MSME),
Industries and Commerce (FP and MSME) Department,
Room No. 346, D Block, 2 nd Floor,
Telangana Secretariat,
Government of Telangana, Hyderabad. | Member |
| 17. | Shri M. Nagaraju,
Principal Secretary,
Department of Industries and Commerce,
Government of Tripura. | Member |
| 18. | Shri S. P. Joshi,
Director,
Department of Horticulture and Food Processing,
Government of Uttar Pradesh. | Member |
| 19. | Shri Veer Singh Negi,
Director,
Horticulture Department,
Government of Uttarakhand. | Member”. |

[F. No. 6/16/2015-EP (Agri. IV)]

SANDOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S. O. 486(E), dated the 12th August, 1986 and last amend *vide* S.O. 445(E), dated the 10th February, 2016.